



Office of the Cantonment Board
Chakrata Cantt.-248123
कार्यालय छावनी परिषद, चकराता, देहरादून उत्तराखण्ड
Phone/फोन: 01360- 272220, Fax/फैक्स 01360- 272502
Email/ई-मेल: ceochak-stats@nic.in



सार्वजनिक सूचना

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 99(1) के अन्तर्गत चकराता छावनी के सभी सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित सम्पत्तिकर के बिल भारत सरकार के ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से जारी करने के उपरान्त निर्गत किये जा चुके हैं जिसके अनुसार बिल भुगतान की तिथि दिनांक: 30/09/2021 तक निर्धारित है। यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में:-

1. डिमाण्ड नोटिस शुल्क रू0 100/- प्रति नोटिस छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 100(2) के अन्तर्गत करदाता द्वारा देय होगा।
2. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 102(1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में अवशेष राशि पर प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करदाता द्वारा अलग से किया जाना होगा।

अतः ऐसे सभी करदाता जिनके द्वारा अपने सम्पत्ति कर का भुगतान अभी तक कार्यालय को नहीं किया गया है वे उपरोक्तानुसार 30/09/2021 तक अपनी-अपनी सम्पत्ति का भुगतान करने का कष्ट करें।

पुनः यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश बिल प्राप्त नहीं हो पाया है अथवा बिल में किसी प्रकार की त्रुटि अंकित हो, तो किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय से सम्पर्क करते हुए बिल प्राप्त किया जा सकता है अथवा त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।

जनहित में जारी।


(कुनाल रोहिला) भा0र0स0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, चकराता